खास खबरें

बजरिया पुलिस ने की अवैध शराब जब्त

नप्र, भोपालः बजरिया थाना क्षेत्र की साईंराम कॉलोनी, विजय नगर में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की। रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने शेखर लोधी पिता कमल लोधी, उम्र 18 वर्ष, के कब्जे से 48 क्वार्टर देशी शराब बरामद की। शराब की कीमत करीब 3800 रुपये बताई गई है। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते युवक पर कार्रवाई

गोविंदपुरा थाना क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। रिपोर्ट के अनुसार यशवंत साहू को सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते पाया गया। पुलिस ने उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 36 के तहत प्रकरण दर्ज किया। पुलिस की कार्रवाई के बाद मामले को दर्ज कर आगे की वैधानिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

छोलामंदिर से 19 वर्षीय युवती लापता

छोलामंदिर थाना क्षेत्र के मालीखेड़ा से 19 वर्षीय युवती के लापता होने की शिकायत दर्ज हुई है। पुलिस के अनुसार शेर सिंह ने अपनी पुत्री सपना वंशकार के बिना बताए कहीं चले जाने की सूचना दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर ली है। युवती की तलाश के लिए संभावित स्थानों पर जानकारी जुटाई जा रही है।

पुरानी बात को लेकर मारपीट, दो भाइयों पर आरोप

बागसेवनिया थाना क्षेत्र के अमराई परिसर में पुरानी बात को लेकर गाली-गलौज, मारपीट और धमकी देने का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस रिपोर्ट में राम सिंह की शिकायत पर मुकेश मालवीय और योगेश मालवीय के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के कारणों की पड़ताल की जा रही है।

पैसों के विवाद में मारपीट और धमकी

कोलार थाना क्षेत्र के सनखेड़ी में पैसों की बात को लेकर विवाद के बाद मारपीट और धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार दीपक अहिरवार, नारायण अहिरवार, राज अहिरवार सहित अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। आरोप है कि विवाद के दौरान गाली-गलौज कर मारपीट और धमकी दी गई। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जमीन विवाद में महिला से मारपीट का आरोप

चूनाभट्टी थाना क्षेत्र की छत्रपति शिवाजी कॉलोनी में जमीन विवाद को लेकर मारपीट और धमकी देने का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार राखी सिंह, पति सतपाल सिंह, उम्र 60 वर्ष, ने शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में रवेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह, अरुण सिंह और जावेद खान सहित अन्य पर गाली-गलौज, मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया गया है।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से रविवार को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजारापु राममोहन नायडू ने मुख्यमंत्री निवास में सौजन्य भेंट की। इस दौरान मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल, केंद्रीय नागरिक उड्डयन सचिव समीर कुमार सिन्हा, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय में सदस्य योजना अनिल गुप्ता और अपर मुख्य सचिव विमानन संजय शुक्ल उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केंद्रीय मंत्री नायडू का आत्मीय स्वागत किया और उन्हें प्रतीक चिह्न भेंट कर अभिनंदन किया।

तेज बारिश से हालात बिगड़े नर्मदा खतरे के निशान से ऊपर

राज्य ब्यूरो नईदुनिया, भोपालः रविवार को कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहा। भोपाल समेत बालाघाट, विदिशा, हरदा, नरसिंहपुर और अन्य जिलों में रुक-रुककर बारिश हुई। मंडला में नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी, जबकि डिंडौरी में भारी बारिश के बाद सोमवार को नर्सरी से 12वीं तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया। डिंडौरी में कच्चा मकान गिरने से सात वर्षीय बच्चे की मौत हो गई।

डिंडौरी में शनिवार रात नौ बजे से रविवार सुबह छह बजे तक करीब छह इंच बारिश दर्ज की गई। बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया। कच्चा मकान गिरने से राजा नामक सात वर्षीय बच्चे की मलबे में दबकर मौत हो गई। नर्मदा नदी का पानी पुल के ऊपर से बहने लगा है। नदी किनारे बसे सात परिवारों को रैन बसेरा में स्थानांतरित किया गया है।

भारी बारिश को देखते हुए कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने 10 अगस्त को जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। आदेश सीबीएसई, नवोदय, केंद्रीय विद्यालय और अनुदान प्राप्त स्कूलों पर भी लागू रहेगा। हालांकि शिक्षक और अन्य कर्मचारी विद्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।

मंडला में नर्मदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा। रविवार सुबह नौ बजे नदी का जलस्तर 435 मीटर था, जो शाम चार बजे तक बढ़कर 437.6 मीटर पहुंच गया। नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसके कारण छोटा पुल यानी रपटा भी डूब गया।

रेरा के आदेश, कुर्की-नीलामी के बाद भी नहीं लौटे करोड़ों

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्य प्रदेश में रियल एस्टेट परियोजनाओं में घर, फ्लैट और प्लॉट खरीदने वाले हजारों लोगों की मेहनत की कमाई अटकी हुई है। रेरा के आदेश के बावजूद बिल्डरों से रकम की वसूली नहीं हो पा रही है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में खरीदारों के करीब 393 करोड़ रुपये बिल्डरों के पास अटके हैं। इनमें अकेले भोपाल में करीब 212 करोड़ रुपये की वसूली लंबित बताई गई है।

वसूली की स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले आठ वर्षों में रेरा ने करीब 2382 मामलों में 374 करोड़ रुपये की वसूली के आदेश दिए, लेकिन वास्तविक वसूली करीब 10 करोड़ रुपये ही हो सकी। यानी आदेशित राशि की तुलना में वसूली बेहद कम रही। इससे रेरा के आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन और उसके बाद की राजस्व वसूली व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। रेरा द्वारा बिल्डर को रिफंड, ब्याज या मुआवजा देने का आदेश किए जाने के बाद भी यदि भुगतान नहीं होता तो राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र (आरआरसी) जारी किया जाता है। इसके बाद संबंधित जिला प्रशासन के माध्यम से वसूली की कार्रवाई होती है। बिल्डर की चल-अचल संपत्ति कुर्क करने से लेकर नीलामी तक की कार्रवाई का प्रावधान है। इसके बावजूद कई मामलों में नीलामी के लिए खरीदार नहीं मिलते। कुछ मामलों में बिल्डर की संपत्तियों का पता लगाने में परेशानी होती है, जबकि कई बार संपत्ति पहले ही दूसरे लोगों के नाम स्थानांतरित किए जाने की जानकारी सामने आती है। लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया के कारण खरीदार वर्षों तक अपनी रकम का इंतजार करते रहते हैं।

एजी-8 मामला बना उदाहरण : भोपाल का एजी-8 वेंचर्स मामला वसूली की मुश्किलों का बड़ा उदाहरण है। आकृति सिटी से जुड़े प्रोजेक्ट में करीब 25 से 30 निवेशकों के सात से आठ करोड़ रुपये अटके बताए गए हैं। निवेशकों ने रेरा में शिकायत की थी। आदेश के बावजूद भुगतान नहीं होने पर प्रशासन ने कंपनी की संपत्तियों की कुर्की और नीलामी की कार्रवाई शुरू की। लेकिन नीलामी में एक भी बोलीदाता नहीं पहुंचा। अब कंपनी के पार्टनर राजीव सोनी और अधिकृत हस्ताक्षरी हेमंत सोनी के खिलाफ सिविल जेल भेजने की कार्रवाई शुरू की गई है।

निवेश से पहले दस्तावेजों की जांच जरूरी : विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी प्रोजेक्ट में निवेश से पहले रेरा पंजीयन, जमीन का टाइटल, बंधक स्थिति, एनओसी, स्वीकृत ले-आउट और निर्माण अनुमति की जांच करनी चाहिए। भुगतान का रिकॉर्ड, एग्रीमेंट और सभी रसीदें सुरक्षित रखनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब रेरा आदेश के बाद आरआरसी, कुर्की और नीलामी जैसी व्यवस्थाएं मौजूद हैं, तब भी 374 करोड़ रुपये के आदेशों के मुकाबले करीब 10 करोड़ रुपये की ही वसूली क्यों हो सकी? खरीदारों को वास्तविक राहत देने के लिए आदेश के बाद की वसूली प्रक्रिया को समयबद्ध और प्रभावी बनाना अब बड़ी जरूरत है।

अवैध कॉलोनियां भी बड़ी चुनौती

भोपाल में रियल एस्टेट से जुड़े विवाद केवल रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं हैं। हुजूर, कोलार, रतीबड़, विदिशा रोड और केरवा डैम से लगे इलाकों में अवैध प्लॉटिंग और कॉलोनियों के मामले सामने आते रहे हैं। कृषि भूमि पर बिना आवश्यक अनुमति प्लॉट काटकर सड़क, गेट और बाउंड्रीवाल बनाने के मामलों में प्रशासन ने कई बार बुलडोजर कार्रवाई की है। इसके अलावा गिरवी जमीन पर फ्लैट बेचने, फर्जी दस्तावेज, पावर ऑफ अटॉर्नी के दुरुपयोग और एक जमीन को कई लोगों को बेचने जैसी शिकायतें भी सामने आती रही हैं। कुछ मामलों में आर्थिक अपराध शाखा ने एफआईआर दर्ज कर जांच की है।

दुबई में 150 करोड़ के विला की तलाश में लोकायुक्त

सौरभ की काली कमाई का विदेश कनेक्शन खंगालेगी पुलिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः 100 करोड़ रुपये से अधिक की कथित काली कमाई और बेहिसाब संपत्तियों के मामले में घिरे मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा का विदेश कनेक्शन अब लोकायुक्त जांच के केंद्र में है। लोकायुक्त पुलिस दुबई में उसके कथित 150 करोड़ रुपये के विला की तलाश फिर से शुरू करने जा रही है।

कोर्ट में चालान पेश करने से पहले जांच एजेंसी सौरभ के साथ उसके करीबियों और संभावित बेनामीदारों के नाम पर मौजूद संपत्तियों का भी नए सिरे से सत्यापन कर रही है। सौरभ के खिलाफ लोकायुक्त संगठन में शिकायत करने वाले व्यक्ति ने जांच एजेंसी को बताया था कि दुबई में सौरभ का एक आलीशान विला है। दावा किया गया था कि यह संपत्ति एमआर ग्रुप के माध्यम से करीब 150 करोड़ रुपये में खरीदी गई है। हालांकि, सौरभ और उसके करीबियों के ठिकानों पर दिसंबर 2024 में हुई छापेमारी के दौरान दुबई की इस कथित संपत्ति से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं मिला था।

पूछताछ में सौरभ और उसके नजदीकी रिश्तेदारों ने भी दुबई में किसी संपत्ति की जानकारी होने से इनकार किया था। इसके बावजूद शिकायत में संपत्तियों से जुड़ी कई जानकारियां जांच के दौरान सही पाए जाने के बाद लोकायुक्त अब दुबई वाले दावे को भी दस्तावेजों के जरिए सत्यापित करने की तैयारी में है।

एमआर ग्रुप से खुलेगा प्रॉपर्टी कनेक्शनः लोकायुक्त पुलिस जल्द ही एमआर ग्रुप को पत्र लिखकर जानकारी मांगेगी। इसमें पूछा जाएगा कि सौरभ शर्मा, उसके रिश्तेदारों या कथित काली कमाई को ठिकाने लगाने में सहयोग करने वाले 15 से अधिक लोगों में से किसी के नाम पर ग्रुप के माध्यम से दुबई में कोई संपत्ति खरीदी गई है या नहीं।

जांच का फोकस केवल सौरभ के नाम पर संपत्ति खोजने तक सीमित नहीं रहेगा। पुलिस यह भी पता लगाएगी कि कहीं विला या अन्य प्रॉपर्टी किसी करीबी व्यक्ति अथवा बेनामी नाम पर तो नहीं खरीदी गई। खरीद की तारीख, भुगतान का तरीका, खरीदार और वास्तविक लाभार्थी समेत अन्य जानकारियां भी जांच के दायरे में रहेंगी।

दुबई जाने की जानकारी भी बनी अहम कड़ी : सौरभ के दुबई आने-जाने की जानकारी पहले भी जांच में सामने आ चुकी है। 19 दिसंबर 2024 को जब लोकायुक्त पुलिस ने उसके ठिकानों पर छापेमारी की थी, तब परिजनों ने बताया था कि वह पत्नी के साथ दुबई गया हुआ है। इसके बाद 28 जनवरी 2025 को सौरभ ने भोपाल जिला न्यायालय में समर्पण किया था। लोकायुक्त अब उसके विदेश दौरों, संभावित निवेश और दुबई में संपर्कों को भी कथित बेनामी संपत्तियों की जांच से जोड़कर देख रही है।

सितंबर तक कोर्ट में चालान की तैयारी

लोकायुक्त संगठन सितंबर के अंत तक सौरभ शर्मा के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश करने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले जांच एजेंसी उसकी संपत्तियों का दोबारा मिलान कर रही है, ताकि चालान में कोई महत्वपूर्ण संपत्ति या निवेश छूट न जाए। शिकायतकर्ता ने जिन संपत्तियों और आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख किया था, उनमें से अधिकांश जानकारी जांच में सही पाए जाने के बाद अब दुबई की कथित संपत्ति को लेकर भी लोकायुक्त दस्तावेजी प्रमाण जुटाना चाहती है। यदि एमआर ग्रुप से सौरभ या उसके करीबियों के नाम पर दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने की पुष्टि होती है, तो यह मामले में विदेश में निवेश की अहम कड़ी साबित हो सकती है।

विद्यार्थियों ने प्रदर्शनी के जरिए दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः मिठी पब्लिक स्कूल में इको क्लब के तत्वावधान में 'हरित भविष्य की ओर एक कदम' विषय पर ग्रीन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता विकसित करना तथा अभिभावकों को हरित जीवनशैली से जोड़ना रहा।

इस विशेष पीटीएम को रचनात्मकता और नवाचार से जोड़ते हुए एक प्रेरणादायक आयोजन बनाया गया। विद्यार्थियों ने हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, एआई/आईटी एवं वाणिज्य विषयों से जुड़े आकर्षक मॉडल प्रस्तुत किए। सभी प्रदर्शनों में पुनर्चक्रित एवं पर्यावरण-अनुकूल सामग्री का उपयोग कर रिड्यूस, रीयूज़, रीसायकल की अवधारणा को व्यवहारिक रूप दिया गया। विद्यालय परिसर में इको-थीम आधारित सजावट, पोस्टर प्रदर्शनी, पेपर बैग, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट गतिविधियां, सेल्फी पॉइंट और नेचर टैटू कॉर्नर विशेष आकर्षण रहे।

परिस्थितियां कैसी भी हों, मेहनत और संकल्प से मिलती है सफलताः लोधी

सम्मान समारोह में 480 से अधिक सिंधी प्रतिभाएं सम्मानित

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः रविवार को भोपाल में भारतीय सिंधु सभा एवं सिंधी मेला समिति के संयुक्त तत्वावधान में प्रांतीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, इसमें प्रदेशभर से आए 480 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मध्यप्रदेश शासन के संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के राज्यमंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक भगवानदास सबनानी ने की। समारोह का परंपरागत तरीके से हुआ। मनीष दरयानी एवं गुलाब ठाकुर ने अतिथियों का स्वागत किया और स्वागत भाषण दिया। इस अवसर पर मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, विधायक भगवानदास सबनानी, शैक्षणिक सलाहकार एवं मनोवैज्ञानिक कला मोहन, राजगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक अमित तोलानी, डीआरएम जबलपुर कमल तलरेजा तथा सिंधी साहित्य के निर्देशक राजेश वाधवानी ने 10वीं, 12वीं, स्नातक स्तर तथा विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।

लोधी ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए परिस्थितियां कैसी भी हों, कड़ी मेहनत, लगन और लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प से सफलता अवश्य प्राप्त की जा सकती है।

उन्होंने कहा कि इस प्रकार के सम्मान विद्यार्थियों को निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। विधायक भगवानदास सबनानी ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन समाज को गौरवान्वित करते हैं और नई पहचान स्थापित करते हैं। उन्होंने कहा कि सिंधी समाज अब केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, साहित्य, कला और खेल जैसे क्षेत्रों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन कर रहा है।

भगवान झूलेलाल चालीहा साहिब के 25वें दिन बहिराणा साहिब का आयोजन

शीतलदास बगिया तालाब में जोत का विसर्जन

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः भगवान झूलेलाल चालिहा साहिब के 25वें दिन रविवार को ईसरानी मार्केट स्थित राजवीर मंदिर में श्रद्धा और भक्ति के साथ बहिराणा साहिब का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान झूलेलाल से आशीर्वाद प्राप्त किया।

मंदिर में चालीहा साहिब साईं लालदास की प्रेरणा और मार्गदर्शन में आयोजित किया जा रहा है। आज कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11 बजे बहिराणा साहिब की सेवा के साथ हुई। इसके पश्चात दोपहर 12 बजे बहिराणा साहिब की ज्योति प्रज्वलित की गई। श्रद्धालुओं ने भजन, आरती और पल्लव साहिब में भाग लेकर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। आरती के पश्चात भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सभी भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। आयोजन के दौरान समाज के लोगों में उत्साह और श्रद्धा का विशेष माहौल देखने को मिला।

राजवीर मंदिर समिति, ईसरानी मार्केट द्वारा आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम में अनेक श्रद्धालुओं ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई और भगवान झूलेलाल से सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिर सेवाधारी लखू अदानी ने बताया कि मंदिर में कार्यक्रम में पश्चात शीतलदास बगिया तालाब में जोत का विसर्जन किया गया।

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार श्री सोनू कुशवाह आत्मज श्री कुमेर सिंह कुशवाह, निवासी-मकान नंबर 01,कृषक नगर, करोद चौराहा, तहसील हुजुर, जिला भोपाल (म.प्र.) के पक्ष में दाता/विक्रेता श्री अनुराग गुप्ता आत्मज श्री दिलीप गुप्ता, निवासी-32, एलेक्सर ग्रीन गार्डन, तहसील हुजुर, जिला भोपाल (म.प्र.) के स्वामित्व एवं आधिपत्य की संपत्ति स्थित ग्राम पलासी, पटवारी हल्का नं. 05, राजस्व निगम मंडल 01, विकास खंड फंदा, तहसील हुजुर, जिला भोपाल (म. प्र.) खसरा एवं भूखंड खसरा नंबर 131/133/134/2/9/2/ख के अंतर्गत मुख्य भूखंड (प्लॉट क्र. 16, क्षेत्रफल 800 वर्गफीट) से लगी हुई ठीक सटी हुई पश्चिम दिशा में 2 गुना 20 फीट (कुल 40 वर्गफीट) माप की अतिरिक्त भूमि/पट्टी। चतुर्थ सीमाए-पूर्व दिशा में श्री सोनू कुशवाह का प्लॉट नं. 16 उत्तर दिशा में अन्य की संपत्ति पश्चिम दिशा श्री अनुराग गुप्ता/दानदाता की अन्य संपत्ति दक्षिण दिशा में भूखंड नं.17 एवं 18 के संबंध में दान-पत्र/सहमति-पत्र निष्पादित किया जाना तय हुआ है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति, संस्था, बैंक, वित्तीय संस्थान व अन्य को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो, अथवा उक्त संपत्ति पर अन्य किसी प्रकार का हक हकूक, बंधक, विक्रय अनुबंध, दावा या दान/हिबा आदि का विवाद हो, तो वे इस जाहिर सूचना के प्रकाशन से 07 (सात) दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में अपने समस्त वैध दस्तावेजों एवं प्रमाणों सहित लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा समयावधि पश्चात मेरे पक्षकार उपर्युक्त संपत्ति का दान-पत्र विधिवत निष्पादित करवा लेंगे, और ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की आपत्ति मेरे पक्षकार पर बंधनकारी नहीं होगी।

RAJESH SAHU ADVOCATE
R/O 19,LAXMI NIWAS, BHOI MOHALLA, BARKHEDI, BHOPAL - 42008
Mob-9165941983

1249

कार्यालय पुलिस उपायुक्त (यातायात) नगरीय पुलिस,भोपाल
पुराने कट्रोल रूम के पीछे जहाँगीराबाद भोपाल 462008

क्रमांक/पु.उपा./याता./न.पु/भो/ 1744 2026/ **दिनांक 07/08/2026**

खुली नीलामी सूचना

यातायात नगरीय पुलिस भोपाल के अंतर्गत निम्नलिखित निष्प्रयोज्य (स्क्रैप) एवं टूटे सामग्री (लोहा एवं प्लास्टिक) उपलब्ध है, थाना यातायात में जो है, जैसी एवं जिस स्थिति में है की खुली नीलामी थाना यातायात परिसर में दिनांक-28.08.2026 को की जाना है-

क्रं.	सामग्री	लगभग वजन	प्रति किलो न्यूनतम ऑफसेट मूल्य
	लोहे की सामग्री		
1	लोहे के टूटे हुये स्टॉपर	7000 कि. ग्रा.	25 रू.
2	लोहे के टूटे हुये यातायात बूथ	800 कि.ग्रा.	
3	लोहे के टूटे हुये ड्रॉप गेट	2000 कि.ग्रा.	
	कुल लगभग वजन	**9800**	
	प्लास्टिक की सामग्री		
6	प्लास्टिक के टूटे हुये कोन	250 कि.ग्रा.	15 रू.
7	खराब प्लास्टिक सूटकेस	14 कि.ग्रा.	
8	टूटे हुये फायबर स्टॉपर	80 कि.ग्रा.	
9	टूटे हुये प्लास्टिक हेलमेट	25 कि.ग्रा.	
	कुल लगभग वजन	**369**	

उपरोक्तसामग्री की नीलामी में इच्छुक व्यक्ति/फर्म निम्नलिखित नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए सम्मिलित हो सकते हैं-
1. नीलामी में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति थाना यातायात परिसर में रखी सामग्री का कार्यालयीन समय में अवलोकन कर सकते हैं, सामग्री जैसी है जिस स्थिति में है, उस स्थिति से ही प्राप्त करना सफल बोलीकर्ता का दायित्व होगा। **2.** फर्म को राज्य शासन द्वारा भोपाल शहर में अधिकृत पात्र और सक्षम फर्म के रूप में पंजीकृत होना चाहिए फर्म का जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। यह फर्म को EMD के साथ आधार फर्म का रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति जमा करना अनिवार्य है। **3.** EMD के रूप में 5000/- रु की राशि डिमांड ड्राफ्ट/चैक के रूप में बन्द लिफाफे में जिसमें फर्म का पूर्ण विवरण लिखकर थाना यातायात स्टोर शाखा में दिनांक-26/8 से पूर्व जमा करना होगा, नीलामी में भाग लेने वाले फर्म / व्यक्ति को EMD सफल निविदाकार को आदेश होने के उपरांत अन्य फर्मों की EMD राशि वापस कर दी जायेगी। **4.** सफल क्रेता को लोहे की सामग्री हेतु 1,00,000 रु एवं प्लास्टिक की सामग्री हेतु 5,000/- आदेश प्राप्त होने के दो दिवस के अंदर अग्रिम डिमांड ड्राफ्ट रूप में पुलिस उपायुक्त मुख्यालय भोपाल के नाम से बनवाकर जमा कराया जाना अनिवार्य है, शेष राशि का भुगतान सामग्री के पुनः वजन के उपरांत प्रदाय किया जाना होगा। **5.** सफल क्रेता को सामग्री का वजन समिति समस्त अथवा उपलब्ध सदस्यों की उपस्थिति में कराया जाना अनिवार्य होगा। **6.** पुलिस उपायुक्त (यातायात) नगरीय पुलिस भोपाल, उक्त अधिकारी से बिना कोई कारण बताये किसी उद्धृत बोली को मान्य अथवा अमान्य करने हेतु पूर्ण स्वतंत्रता होगी। **7.** सफल क्रेता को प्रचलित शासकीय नियमानुसार विक्रय कर अन्य शुल्क तथा स्थानीय कर पृथक से निर्वाह करने होंगे। **8.** प्रचलित प्रस्तावित कर संबंधी कानूनों एवं प्रावधानों का पालन करना फर्म का दायित्व होगा। **9.**सफल निविदाकार को जब भी आदेश जारी किया जावेगा उसके 10 दिन में सामग्री कार्यालय से पूरी तरह निराकृत कराया जाना आवश्यक होगा 1 **10.** बिना कारण बताये नीलामी पूर्णतः स्वीकृत /अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार पुलिस उपायुक्त यातायात, नगरीय पुलिस भोपाल को होगा। इस संबंध में कोई भी पत्राचार मान्य नहीं किया जायेगा। **11.** निविदा में विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जिला भोपाल होगा। **12.** सामग्री को उठाने एवं परिवहन की समस्त जिम्मेदारी क्रेता की ही होगी। **13.** नीलामी के संबंध में नीलामी अधिकारी द्वारा ही निर्णय लिया जायेगा। शेष नियम एवं सामग्री की जानकारी स्टोर शाखा थाना यातायता भोपाल में कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है।

पुलिस उपायुक्त यातायात
नगरीय पुलिस भोपाल

जी-16914/26